प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला/सयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93 टी.सी.1/2012–13/९७५-2 दिनांकः 1/8/12

विषय : **जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के अन्तर्गत प्राविधानित सुविधाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने के संदर्भ में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम अगस्त, 2011 से प्रदेश में प्रारम्भ किया गया है तथा आरम्भिक कठिनाइयों को देखते हुए प्रथम वर्ष में इसे मात्र 165 प्रथम संदर्भन इकाइयों पर ही संचालित किया गया। इनमें से ड्रॉप बैक की निःशुल्क व्यवस्था मात्र 142 इकाइयों में तथा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मात्र 136 इकाइयों में (जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्टेट बजट से की गई व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए) आरम्भ की जा सकी है।

वर्ष 2012–13 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधायें समस्त प्रसव इकाईयों पर आरम्भ की जानी हैं, जिसके लिए जे.एस.एस.के. की विस्तृत गाइड–लाइन्स कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./जे.एस.एस.के./93/ 2012–13/605–2 दिनांक 28.06.2012 के माध्यम से समस्त जनपदों को प्रेषित की जा चुकी हैं। कार्यकम हेतु गतिविधिवार वित्तीय मानक, दिशा निर्देश तथा धनराशि भी जनपदों को निर्गत की जा चुकी है।

- यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है, इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- प्रत्येक अच्छादित स्वास्थ्य इकाई पर गाइड लाइन के अनुसार बड़े–बड़े अक्षरों में संदेश लिखवाकर बोर्ड लगवायें। साथ ही शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर (1800–180–1900) को भी बोर्ड पर दर्शाया जाय।
- योजना के संबंध में आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा केबल आपरेटर के माध्यम से जन समुदाय जागरूकता के लिए रेडियो जिंगल्स/स्पॉट्स, वार्ता, विज्ञापन आदि प्रसारित कराये जायें।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी वाल राइटिंग के माध्यम से जन समान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्राविधानों से अवगत कराया जाय।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के अन्तर्गत निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड, ड्रॉप बैक, औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, भोजन, जॉच व रक्ताधान की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है, इसके बावजूद ब्लाक/जिला स्तर पर लाभार्थियों से शुल्क लेने की शिकायत कई जनपदों से प्राप्त हो रही हैं, जो कि दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रक्ताधान के समय रक्त की व्यवस्था महिला के परिजनों द्वारा की जानी है परन्तु ब्लड ग्रुप की जॉच, क्रास मैचिंग, रक्त चढ़ाने के समय उपयोग होने वाली विभिन्न कन्ज्यूमेबिल्स तथा सेवा हेतु किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जानी है। सामान्यतया इस कार्य हेतु सरकारी रुप से रुपये 400/– की फीस निर्धारित है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव कराने वाली किसी भी महिला से यह फीस नहीं ली जानी है। यह निर्देश/सुविधा राजकीय मेडिकल कालेजों में भी लागू होते हैं। इस संबंध में आप को पूर्व में शासनादेश संख्या जी0आई0–132/पॉच–9–2011–9 (192)/11 दिनांक 28 जुलाई 2011 निर्गत किया जा चुका है तथा पुनः प्रमुख सचित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 भेजा गया है। इसके बावजूद अभी 18 से 22 जुलाई 2012 के मध्य भारत सरकार की टीम द्वारा भ्रमण किये गये जिलों मथुरा, आगरा तथा फिरोजाबाद में उक्त फीस चार्ज करते हुए पाया गया। यह नितान्त आपत्तिजनक है।

अतः इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियों तक निःशुल्क सुविधाएं पहुँचाने हेतु अपने स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे समुदाय को योजना का सम्पूर्ण लाभ मिल सके तथा भविष्य में जनपदों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त न हों।

भवदीय

1/08/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/ **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उपर्युक्त समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. डॉ0 हिमांशु भूषण, उपायुक्त, मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हेतु तीन माह की धनराशि जनपदों को मिशन फ्लैक्सीपूल से आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल में स्थानान्तरित करके अवमुक्त की गई है।
4. डॉ पद्मनाभन, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेन्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान मुनिरिका नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज–लखनऊ/कानपुर/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/इलाहाबाद एंव केन्द्रीय मेडिकल कालेज वाराणसी/अलीगढ़/सैफई, इटावा।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(अरुणा नारायण)
महाप्रबन्धक–जे0एस0एस0के0